

(13)

विलो



न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 विविध

/2018/रीवा/भू-रा०

विविध- 4026/2018/रीवा/भू.रा०

श्रीमती उजली वा० अ० ८६२०५८
द्वारा आज दि० २३/६/१८ २५०२०८
प्रस्तुत। प्रारंभिक कृष्ण
दिनांक ६-७-१८ प्रियता।
बलक थोक कोर्ट २९-६-१८
राजस्व मण्डल, म.र. ग्वालियर

R. ५८७
२९/६/१८

रामप्रकाश पटेल पुत्र स्व० श्री सूर्यदीन
पटेल, आयु - 68 साल, व्यवसाय -
कृषक, निवासी - ग्राम पाडर, तहसील
मउगंज, जिला रीवा, म0प्र0

—आवेदक

विरुद्ध

1- श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री राजेन्द्र
कुमार बंसल, निवासी - मोहल्ला
समान थाना समान, तहसील हुजूर,
जिला रीवा, म0प्र0

2- देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्रीकृष्ण
पाण्डेय, निवासी ग्राम बेला तहसील गुड
जिला रीवा, म0प्र0 हाल मुकाम पयासी
ठोला समान, तहसील हुजूर, जिला रीवा
म0प्र0

—अनावेदकगण्ण

भूल सुधार वावत् आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान् महोदय,

1- यह कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी /3048/2018/रीवा
/भू-रा० में दिनांक 25/06/2018 को अंतिम आदेश पारित किया गया है,
जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ क्रमांक 2 में ऊपर से लाइन

✓

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मो प्र०, गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक विविध 4026/2018/रीवा/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
18-7-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार वावत आवेदन पत्र अंतर्गत धरा 32 मो प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2—अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया गया है कि इस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 3189/2018/रीवा/भूरा/में पारित आदेश दिनांक 25.6.18 में भूलक्षण टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ क्रमांक 2 में ऊपर से लाइन नम्बर 7 में सर्वे क्रमांक 521/71/क के स्थान पर 521/21/क टंकित हो गया है। अतः ऊपर से लाइन नम्बर 7 में सर्वे क्रमांक 521/21/क के स्थान पर 521/71/क करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>3—आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा ऊपर से लाइन नम्बर 7 में सर्वे क्रमांक 521/21/क के स्थान पर 521/71/क पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p> 	 सदस्य